सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/321 दायर दिनांक 24.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. बसन्त कुमार पुत्र सांवरमल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. जब्बर सिंह पुत्र लादु सिंह, 2. जगदीप पुत्र लादु सिंह, 3. बहादुर सिंह पुत्र लादु सिंह, 4. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्योजी सिंह, 5. गोपाल कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 6. मन्जु कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 7. किरण कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 8. चांद कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 9. चिकु कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 10. सुग्यार कंवर पत्नि श्योजी सिंह, 11. सलोचना कवंर पुत्री सलाब सिंह, 12. सीता कंवर पुत्री सलाब सिंह, 13. करणी कंवर पुत्री सलाब सिंह, 14. छिगन कंवर पत्नि सलाब सिंह, समस्त जाति राजपुत, निवासी रसीदपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 15. विष्णु सिंह पुत्र भगवान सिंह, 16. दीपक सिंह पुत्र भगवान सिंह, दोनो जरिये कुदरती वलि पिता भगवान सिंह समस्त जाति राजपुत, निवासी रसीदपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 17. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की और से।
2. श्री भैरोसिंह शेखावत प्रतिवादीगण की और से।

–:: अन्तिम <u>निर्णय</u> ::– दिनांक 23.03.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 49 रकबा 20.19 बीघा वाके रसीदपुरा स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 16 के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसका उल्लेख जमाबन्दी में है तथा जमाबन्दी वाद के साथ पेश है, वादी बसन्त कुमार ने प्रतिवादी नम्बर 01 जब्बर सिंह से खेत खसरा संख्या 49 रकबा 20.19 बीघा में उसका 83/419 हिंस्सा में से 60/419 अर्थात 3 बीघा भूमि दो लाख उन्यासी हजार रूपयो में क्रय करके दिनॉक 09.11.2009 को अपने नाम से रजिस्ट्री करवायी, तथा मौके पर कब्जा संभाल लिया, तथा उसी वर्ष वादी द्वारा क्रय सुदा व कब्जा सुद 3 बीघा भूमि के चारो और पक्की दिवार निर्माण करवाकर गेट चढ़वा लिया तथा तब से लेकर आज तक वादी का कब्जा काश्त अबाध रूप से ही चला आ रहा है। वादी ने अपने हिंस्से की भूमि को अपने नजरी नक्शा में दर्शायी है, जो वाद का भाग है तथा वाद के साथ पेश है। वादी द्वारा क्रय सुदा व कब्जा सुद भूमि के चारो और पक्की दिवार है लेकिन उक्त सम्पूर्ण खेत का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से राजस्व नक्श में अलग से भूमि दर्शायी हुयी नहीं है। जिसके कारण सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा होती है, वादी अपनी क्रय सुदा व कब्जा सुदा भूमि का अलग खाता करवाने का कानूनन हकदार है। वादी की क्रय सुदा व कब्जा सुदा तीन बीघा भूमि में अन्य व्यक्ति को दखल नहीं करने हेतु पाबन्द करवाने का वादी जायज अधिकारी है, इसलिये वादी को प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 व 12 ने जरिये ईकबाली जबाब पेश किया, जिसमें निवेदन किया वादी का वाद नजरी नक्शा के अनुसार डिक्री कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 11, 13, ता 17 बावजुद तामिल के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श –1 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –2 है, बेचाण दिनॉक 09.11.2009 प्रदर्श – 03 है।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद रसीदपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 49 रकबा 20.19 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खेत खसरा संख्या 49 रकबा 20.19 बीघा में से 3 बीघा दक्षिणी –पश्चिमी अर्थात नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, डी हिंस्से का वादी बसन्त कुमार को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/321 दायर दिनांक 24.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. बसन्त कुमार पुत्र सांवरमल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. जब्बर सिंह पुत्र लादु सिंह, 2. जगदीप पुत्र लादु सिंह, 3. बहादुर सिंह पुत्र लादु सिंह, 4. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्योजी सिंह, 5. गोपाल कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 6. मंन्जु कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 7. किरण कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 8. चांद कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 9. चिकु कंवर पुत्री श्योजी सिंह, 10. सुप्यार कंवर पत्नि श्योजी सिंह, 11. सलोचना कवंर पुत्री सलाब सिंह, 12. सीता कंवर पुत्री सलाब सिंह, 13. करणी कंवर पुत्री सलाब सिंह, 14. छिगन कंवर पत्नि सलाब सिंह, समस्त जाति राजपुत, निवासी रसीदपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 15. विष्णु सिंह पुत्र भगवान सिंह, 16. दीपक सिंह पुत्र भगवान सिंह, दोनो जरिये कुदरती वलि पिता भगवान सिंह समस्त जाति राजपुत, निवासी रसीदपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 17. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

–:: अंतिम डिक्री निर्णय ::– दिनांक :– 23.03.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादी व श्री भैरोसिंह शेखावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा शरहद रसीदपुरा पटवार क्षैत्र रसीदपुरा भू – निरीक्षक क्षैत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर में वादग्रस्त खेत खसरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या ....2....... लगातार

Scanned by CamScanner

संख्या 49 रकबा 20.19 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खेत खसरा संख्या 49 रकबा 20.19 बीघा में से 3 बीघा दक्षिणी –पश्चिमी अर्थात नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, डी हिंस्से का वादी बसन्त कुमार को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–...........मुबलिंग...........मुबलिंग..........–.............बाबत............–............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.03.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थ्मजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner